(e) what steps have been taken to avoid further delay?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI): (a) and (b) As on 20.7.1992, 90 applications seeking grant of letters of intent for establishment of new sugar factories had been received through the Department of Industrial Development from the State of Andhra Pradesh. Majority of them have been received during the calender years 1990 and 1991.

(c) and (e) In view of the large pendency of unimplemented letters of intent/licences already issued, proposals for setting up of new sugar factories have not yet been taken up for consideration.

(d) Most of the records/applications have been damaged/burnt in the fire that broke out in Krishi Bhavan on 16.10.1992. As such, the information received from the State Governments is not readily available.

Fall in Foodgrain Production

2868. MISS. SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister has recently cautioned the nation against a possible fall in foodgrains production due to diversion of land to relatively more lucrative crops; and

(b) if so, what are the details thereof and what action is proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Yes, Sir.

(b) While addressing the Indian Agricultural Science Congress on 12th November, 1992 the Prime Minister has emphasised the need to increase food production to meet the demand for increasing population. The long-term strategy for increasing food production include upgradation and extension of new technologies to the farmers/areas where technology has not diffused so far; continuing the crop production oriented thrust programmes; diversification of crop production, tapping of the available irrigation potential; and appropriate market and price support.

खाद्यान्नों की विहित भंडारण पद्धति

2869. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों के लिए विहित भंडारण मानकों का अनुसरण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में 30 सितम्बर, 1992 तक की गई कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम अपने गोदामों तथा इन निगमों द्वारा किराये पर लिए गए गोदामों, जोकि वैज्ञानिक ढंग से बनाए जाते हैं, में खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं का भंडारण करते हैं। इसके अलावा, वे विहित मानदण्डों के अनुसार भंडारण के दौरान वस्तुओं के परिरक्षण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संभव पग उठाते हैं। भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का ब्यौरा क्रमशः विवरण-1 और 2 में दिया गया है। (नीचे देखिये)

(ग) वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान 30 सितम्बर, 1992 तक खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों ने विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के 202 खाद्य भंडारण डिपुओं (विवरण-3) का निरीक्षण किया था। संबंधित प्राधिकारियों की कमियों/दोषों के बारे में सूचित कर दिया गया था ताकि वे उन्हें दूर करने के लिए उपचारी उपाय कर सकें।

विवरण-1

भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए उपाय

(1) खाद्यान्नों का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण किया जाता है और चूहों और जन्तुबाधा पर नियंत्रण पाने के लिए नियमित रूप से कीट नियंत्रण उपाय किए जाते हैं।

(2) मानसून से पहले गोदामों का निरीक्षण किया जाता है और वर्षा के पानी के रिसाव को

रोकने के लिए गोदामों की मरम्मत की जाती है।

(3) खाद्यान्नों का आवधिक निरीक्षण करने और उन्हें उचित ढंग से रखने के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित कर्मचारी लगाए जाते हैं।

(4) भंडारण गोदाम आधुनिक पद्धति से बनाए जाते हैं ताकि वे मूषक प्रूफ और नमी प्रूफ हों।

(5) सभी स्तरों पर अनाजों को सावधानीपूर्वक सम्भालने पर जोर दिया जाता है। श्रमिकों को छोटे आकार के हुकों का इस्तेमाल करने के लिए राजी करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि अनाज के बिखरने से होने वाली क्षति को कम के कम किया जा सके। रेलवे द्वारा निर्धारित पैकिंग की शर्तों और विशेष रूप से बोरियों की सिलाई और चिह्न से संबंधित शर्तों के संबंध में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करने पर जोर दिया जाता है और उनके अनुपालन पर निगरानी रखी जाती है। खाद्यान्नों की बोरियों का पल्ले वाले दरवाजों से दूर लदान करने पर जोर दिया जाता है ताकि रास्ते में वर्षा के कारण होने वाली क्षति को कम किया जा सके।

(6) खुले में भंडारित स्टाक के मामले में, खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित और उपाय किए जाते हैं:—

(क) स्टाक को लकड़ी के क्रेटों पर रखा जाता है और उसे विशेष रूप से तैयार की गई वाटर प्रूफ पोलीथीन की चादरों से ढका जाता है।

(ख) तूफान के दौरान पोलीथीन की चादरों के उड़ने से होने वाली क्षतियों को रोकने के लिए पोलीथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियां मुहैया की गई हैं।

(ग) मौसम की अनिश्चितता से खाद्यान्नों की अतिरिक्त सुरक्षा करने के लिए प्रमुख कैप काम्प्लेक्सों में मोनाफिलामेंट के जाल और कवर टाप्स भी मुहैया किए गए हैं।

(घ) पोलीथीन की चादरों को आवधिक रूप से बदला जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनाजों की हमेशा अत्यधिक सुरक्षा की जाती रहे।

(ङ) अनाज को अच्छी हालत में रखने के लिए साफ मौसम के दौरान स्टाक का खुले में वातन किया जाता है।

विवरण-2

भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा किए गए उपाय

(1) जब भंडारण के लिए कोई स्टाक पेश किया जाता है तब ऐसे स्टाक को प्राप्त करते समय उसकी गुणवत्ता और स्थिति के संबंध में जांच की जाती है। अनाज के विश्लेषण और ग्रेडिंग के लिए नमूने लिए जाते हैं। जब स्टाक विनिर्दिष्टियों के अनुरूप स्वीकार्य पाया जाता है तभी स्टाक भाण्डागारों में रखा जाता है।

(2) स्टाक को निभार क्रेटों पर भण्डारित किया जाता है अथवा निभार के रूप में पोलीथीन फिल्म की तीन परतों के बीच रखा जाता है। भण्डारित स्टाक का प्रत्येक पखवाड़े में निरीक्षण किया जाता है और स्टाक को रखने की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए श्रेणीकरण किया जाता है। प्रत्येक 2-3 सप्ताह में ऐसे स्टाक पर मैलाथियन का छिड़काव कर रोगनिरोधी उपाय किए जाते हैं जोकि स्टाक का भण्डारण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया रसायन है। इससे जन्तुबाधा की रोकथाम में मदद मिलती है। तथापि, यदि स्टाक जन्तुबाधित हो जाता है तब ऐसे स्टाक का निर्धारित मात्रा और अवधि में मिथाइल-ब्रोमाइड अथवा एल्यूमीनियम फास्फेट से प्रधूमन किया जाता है। प्रधूमन के बाद, स्टाक को आवधिक रूप से साफ किया जाता है ताकि दाग, मिट्टी और मृत कीटाणु, यदि कोई हों तो उन्हें हटाया जा सके।

(3) स्टाक को जारी करते समय, स्टाक का यह देखने के लिए भी निरीक्षण किया

जाता है कि ऐसा स्टाक जारी नहीं किया जाए जिससे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन होता हो।

(4) जब स्टाक को भण्डारण के लिए स्वीकार किया जाता है तब ऐसे स्टाक के लिए निभार की व्यवस्था की जाती है। 30 × 30 फुट के निश्चित आकार के चट्टे लगाने की एक अनुमोदित योजना है।

विवरण-3

वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान 30 सितबर, 1992 तक खाद्य भंडारण डिपुओं के किए गए निरीक्षण के बयौरे

क्रम सं०	राज्य का नाम	निरीक्षण किए गए खाद्य भंडारण डिपुओं की संख्या
1.	हरियाणा	17
2.	पंजाब	59
3.	उत्तर प्रदेश	26
4.	जम्मू तथा कश्मीर	3
5.	दिल्ली	3
6.	पश्चिम बंगाल	20
7.	बिहार	13
8.	उड़ीसा	6
9.	त्रिपुरा	4
10.	कर्नाटक	14
11.	तमिलनाडु	6
12.	केरल	10
13.	आन्ध्र प्रदेश	21
	जोड़	202

Grant of licences for new Sugar Factories

2870. DR. NAUNIHAL SINGH:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several applications for licences for setting up new sugar units in the country are pending with Government; and

(b) since when these applications are pending; and what are the reasons for not granting licences for setting up the new units?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI): (a) Yes, Sir.

(b) Majority of applications pending consideration have been received during the calender years 1990 and 1991. In view of the large pendency of unimplemented letters of intent/licences already issued, proposals for setting up of new sugar factories have not yet been taken up for consideration.

Success of the scheme of making colleges autonomous

2871. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under the National Policy on education a target of 500 colleges all over the country for being made autonomous was by the end of Seventh Five Year Plan;

(b) if so, break-up of the target set and the actual achievement State-wise;

(c) what has been the success of the scheme and the reasons for failure, if any;

(d) whether the scheme is being modified and revised targets and time schedule worked out for the Eighth Five Year Plan; and

(e) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) According to the information furnished by the University Grants Commission, in pursuance of the National Policy on Education-1986 and the Programme of Action, the Commission circulated revised guidelines on the Scheme of Autonomous Colleges to all State Governments/Universities in January, 1987. In the Programme of Action-1986, it was originally envisaged